

कार्यालय :- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली (राज.)

क्रमांक/सामान्य/2026/229

दिनांक:-05/06/2026

:: कार्यालय आदेश ::

Gender Sensitization & Sexual Harasment of Women at Subordinate Courts of Rajasthan (Prevention, Prohibition & Redressal) Regulation, 2014 के अध्याय दो में दिये गये निर्देशों एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश Gen/XIX/Misc./304/2022/486 Date 07-03-2026 की अनुपालना में पूर्व प्रसारित आदेशों के अतिक्रम में जिला एवं सेशन न्यायालय, परिसर पाली मुख्यालय के पीडित महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों की जांच हेतु "Subordinate Courts Gender Sensitization and Internal Complaints Committee" (GSICC), 2014" का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. Ms हेमलता भारती, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली (पीठासीन अधिकारी)
2. श्रीमती मीना मीणा, आशुलिपिक ग्रेड प्रथम, जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली (सदस्य)
3. Ms कुसुमलता मेवाडा, अधिवक्ता एवं समाज सेवी (सदस्य)
4. श्री सुनील व्यास, लिपिक ग्रेड प्रथम, जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली (सदस्य-सचिव)
5. श्रीमती मधुबाला, शरिस्तेदार ग्रेड द्वितीय, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली (सदस्य)
6. श्री गौतम भंसाली पुत्र श्री मूलचन्द भंसाली स्वावलम्बन फाउंडेशन पाली (सदस्य)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
पाली (राज.)

क्रमांक/सामान्य/2026/2560-2567

दिनांक :-05/06/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट न्यायाधीश, एसीडी प्रकरण न्यायालय, पाली
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पाली
3. विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो कैंसेज न्यायालय सं. 1/सं. 2/सं. 3, पाली
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, पाली
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली
7. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली/(सा.दं.), पाली
8. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली
9. विशिष्ट न्यायाधीश (एन.आई.एक्ट कैंसेज) नं. 1, पाली/ नं. 2, पाली /नं. 3, पाली
10. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 1, पाली/सं. 2, पाली
11. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, पाली
12. Ms कुसुमलता मेवाडा, अधिवक्ता एवं समाज सेवी (सदस्य)
13. प्रोटोकॉल ऑफिसर कम प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ मुरारिम/पीएमईए/ न्यायालय प्रबन्धक/रीडर ग्रेड प्रथम जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली
14. श्रीमती मीना मीणा, आशुलिपिक ग्रेड प्रथम, जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली (सदस्य)
15. श्री सुनील व्यास, लिपिक ग्रेड प्रथम, जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली (सदस्य-सचिव)
16. श्रीमती मधुबाला, शरिस्तेदार ग्रेड द्वितीय, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली (सदस्य)
17. श्री गौतम भंसाली पुत्र श्री मूलचन्द भंसाली स्वावलम्बन फाउंडेशन, पाली (सदस्य)
18. न्यायालय हाजा नोटिस बोर्ड/वेबसाईट पर अपलोड हेतु एसओ

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
पाली (राज.)

कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सोजत जिला-पाली (राजस्थान)

कार्यालय आदेश

क्रमांक : 66

दिनांक- 09.06.2026

माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन संख्या 113/2018 अफशान बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.05.2018 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक Gen/XIX/Misc/2002/189 दिनांक 22-01-2014 एवं Gen/XIX/Misc/2002/606 दिनांक 18-05-2018 की पालना में सोजत जिला-पाली के न्यायालय पर स्थित समस्त अधीनस्थ न्यायालयों/कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं से यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण हेतु इस कार्यालय द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2014 के तहत दिनांक 24.05.2024 को आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Gen/XIX/Misc/304/2022/486 एवं श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, पाली के पत्र क्रमांक/सामान्य/2026/2559 दिनांक 05.06.2026 की पालना में उपरोक्त गठित कमेटी में आंशिक रूप से कार्यरत हुए Gender Sensitization & Sexual Harassment of women at the Subordinate Courts of Rajasthan (Prevention) Prohibition & Redressal Regulation 2014 के तहत निम्नानुसार कमेटी का पुनर्गठन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व पदनाम	योग्यता/अनुभव	समिति में मनोनित पद
1	श्रीमती कमला बोंयला, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत	वरिष्ठ स्तरीय महिला न्यायिक अधिकारी	पीठासीन अधिकारी
2	श्रीमति नेहा भाटिया, निजी सहायक, ए0डी0जे0 कोर्ट, सोजत	सामाजिक कार्य एवं कानूनी ज्ञान	सदस्य
3	श्रीमति सरस्वती चौधरी, एमएमसीटी क्लर्क, ए0डी0जे0 कोर्ट, सोजत	सामाजिक कार्य एवं कानूनी ज्ञान	सदस्य
4	श्रीमति रेखा व्यास, सामाजिक कार्यकर्ता/स्वयंसेवक	Hand in Hand India, Sojat, में महिला संबंधी कार्य करने वाले एनजीओ में स्वयंसेवक	सदस्य
5	श्री चन्द्रदास, रीडर, एसीजेएम, कोर्ट, सोजत	कानूनी ज्ञान एवं कार्मिक	मेम्बर सेक्रेटरी

कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त अधिनियम की पालना में प्रत्येक त्रैमास में बैठक आयोजित कर मीटिंग रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता के समझ प्रस्तुत करें।

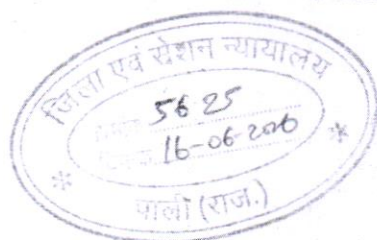

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
सोजत जिला-पाली

क्रमांक/2026/52740536

दिनांक :- 09.06.2026

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, पाली
- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत
- न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत
- अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत
- अतिरिक्त अधिकारी/कर्मचारी/सदस्य
- अधीनस्थ अधिकारी, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सोजत




अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
सोजत जिला-पाली

16.6.26

क्रमांक:- 308

दिनांक:- 16/06/26

प्रेषक:- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
सुमेरपुर जिला-पाली।

प्रेषित:- श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय,
पाली, (राज.)

विषय:- Regarding constitute/ re-constitute of the Internal
Complaints Committee.

संदर्भ:- श्रीमान का पत्रांक/सामान्य/2026/2559 दिनांक 09.03.2026 व
पत्रांक/सामान्य/2026/2750 दिनांक 15.06.2026

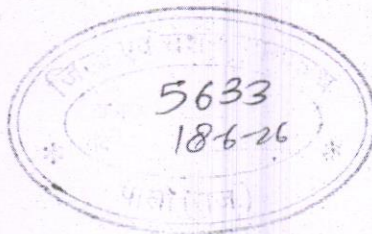
महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में सादर निवेदन हैं कि माननीय
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त Gen./XIX/Misc/304/2022/486
की अनुपालना में Gender Sensitization & Sexual Harassment of
women at the Subordinate Courts of Rajasthan (Prevention)
Prohibition & Redressal) Regulation 2014 के तहत कमेटी का पुनर्गठन
दिनांक 16.06.2026 को किया गया है, जिसकी सूचना श्रीमानजी को सादर
प्रेषित हैं।

आदर सहित।

संलग्न:- कार्यालय आदेश की प्रति

भवदीय
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
सुमेरपुर, जिला-पाली।
16.06.2026



Estt.
18.6.26

कार्यालय:- अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सुमेरपुर जिला-पाली।

क्रमांक / सामान्य / 2026 / 40

दिनांक:-16.06.2026

:: कार्यालय आदेश ::

Gender Sensitization & Sexual Harasment of Women at Subordinate Courts of Rajasthan (Prevention, Prohibition & Redressal) Regulation, 2014 के अध्याय दो में दिये गये निर्देशों एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश Gen/XIX/Misc./304/2022/486 Date 07-03-2026 की अनुपालना में एवं श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय पाली के पत्रांक / सामान्य / 2026 / 2750 दिनांक 05.06.2026 की पालना में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, परिसर सुमेरपुर के पीड़ित महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु "Subordinate Courts Gender Sessitization and Internal Complaints Committee" (GSICC), 2014 " का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. सुश्री मोक्षदा नांदेड़, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर (पीठासीन अधिकारी)
2. श्रीमती कोमल खत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर (सदस्य)
3. श्री भवानीसिंह राठौड़, अधिवक्ता (सदस्य)
4. श्रीमती गीता राव, अधिवक्ता (सदस्य)
5. श्रीमती सारिका राजपुरोहित, विविध लिपिक ए.डी.जे. कोर्ट, सुमेरपुर (सदस्य सचिव)

sv/—

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
सुमेरपुर जिला-पाली

क्रमांक / 2026 / 298

दिनांक:-16.06.2026

- ✓ 1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, पाली
2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर
4. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर
5. सुश्री मोक्षदा नांदेड़, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमेरपुर
6. श्रीमती कोमल खत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमेरपुर
7. श्री भवानीसिंह राठौड़, अधिवक्ता, बार एसोसिएशन, सुमेरपुर
8. श्रीमती गीता राव, अधिवक्ता, बार एसोसिएशन, सुमेरपुर
9. श्रीमती सारिका राजपुरोहित, विविध लिपिक ए.डी.जे. कोर्ट, सुमेरपुर
10. शेरिस्टेदार, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सुमेरपुर।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
सुमेरपुर जिला-पाली

कार्यालय :- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, देसूरी, जिला-पाली, (राज.)

क्रमांक :- 16

दिनांक :- 15/6/26

:- कार्यालय आदेश :-

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, पाली के पत्र क्रमांक/सामान्य/2026/2559 दिनांक 05.06.2026 की अनुपालना में Gender Sensitization & Sexual Harassment of Women at the Subordinate Courts of Rajasthan (Prevention, Prohibition and Redressal) Regulation, 2014 के रेगुलेशन 4 में विहित प्रावधानों के अध्याधीन देसूरी मुख्यालय पर अवस्थित Courts precincts हेतु Gender Sensitization & Internal Complaints Committee का गठन निम्नांकित सदस्यगण के मनोनयन के माध्यम से किया जाता है-

1. सुश्री कार्तिका गेहलोत, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देसूरी (पीठासीन अधिकारी)
2. श्री दिलीप कुमार रीडर ग्रेड प्रथम, ए.डी.जे. कोर्ट, देसूरी (सचिव)
3. श्रीमती भंवरी कुमारी अधिवक्ता, देसूरी (सदस्य)
4. सुश्री स्मृति श्रीमाली, अधिवक्ता, देसूरी (सदस्य)
5. श्रीमती सोफिया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जे.एम. कोर्ट देसूरी (सदस्य)

उक्त समिति उपरोक्त रेगुलेशन, 2014 में विहित प्रावधानों के अध्याधीन कार्य संपादित करेगी।

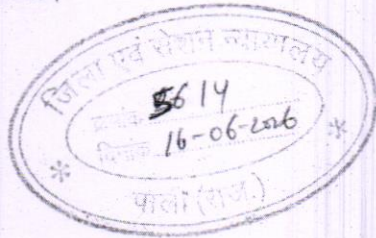
— 54 —
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
देसूरी, जिला-पाली (राज.)।

क्रमांक :- 117

दिनांक :- 15/6/26

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- ✓ 1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, पाली।
2. सुश्री कार्तिका गेहलोत, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देसूरी
3. श्री दिलीप कुमार, रीडर ग्रेड प्रथम, ए.डी.जे. कोर्ट, देसूरी (सचिव)
4. श्रीमती भंवरी कुमारी अधिवक्ता, देसूरी (सदस्य)
5. सुश्री स्मृति श्रीमाली, अधिवक्ता, देसूरी (सदस्य)
6. श्रीमती सोफिया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जे.एम. कोर्ट, देसूरी (सदस्य)
7. रक्षित पत्रावली।



13.06.2026
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
देसूरी, जिला-पाली (राज.)।

6.4

16.6.26

न्यायालय:- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रानी जिला-पाली राजस्थान।

कार्यालय-आदेश

क्रमांक :- 25

दिनांक :- 08.06.2026

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, पाली के आदेश क्रमांक/सामान्य/2026/2559 दिनांक 05.06.2026 की अनुपालना में Gender Sensitization & Sexual Harassment Of Women At Workplace [Prevention, Prohibition and Redressal] Act. 2014 के निर्देशों में आन्तरिक शिकायत कमेटी का पुनर्गठन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक कमेटी गठित की जाती हैं :-

- 01 श्री रविन्द्र सोलंकी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रानी (अध्यक्ष)
- 02 श्री प्रवीण कुमार, रीडर ग्रेड तृतीय, (सदस्य)
- 03 श्रीमति नीलम शर्मा, अधिवक्ता रानी (सदस्य)
- 04 श्रीमति दर्शन कौर, अधिवक्ता, रानी (सदस्य)

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रानी, जिला पाली राजस्थान।

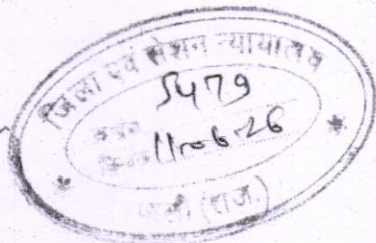
क्रमांक :- 480

दिनांक :- 08.06.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं :-

- 01 श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, पाली राज.।
- 02 श्री रविन्द्र सोलंकी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रानी (अध्यक्ष)
- 03 श्री प्रवीण कुमार, रीडर ग्रेड तृतीय, न्यायालय हाजा (सदस्य)
- 04 श्रीमति नीलम शर्मा, अधिवक्ता बार मण्डल, रानी (सदस्य)
- 05 श्रीमति दर्शन कौर, अधिवक्ता, बार मण्डल, रानी (सदस्य)

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रानी, जिला पाली राजस्थान।



Handwritten signature and date 11.6.26

क्रमांक : 97

दिनांक : 10.03.2026

प्रेषक : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादडी पाली।

प्रेषिति : श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, पाली।

विषय : आन्तरिक शिकायत कमेटी के पुनर्गठन बाबत।

संदर्भ : माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक No.Gen/XIX/Misc./304/2022/486 दिनांक 07.03.2026 व आप श्रीमान्जी के पत्र क्रमांक/सामान्य/2026/1120 दिनांक 09.03.2026 के क्रम में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र में सादर निवेदन है कि "Internal Complaint Committee" as per Gender Sensitization & Sexual Harassment of Women at the Subordinate courts of Rajasthan (Prevention, Prohibition & Redressal) Regulation, 2014 निर्देशों की अनुपालना में न्यायालय में आन्तरिक शिकायत कमेटी का गठन किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

1. श्रीमती हिमानी कच्छवाह, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादडी (अध्यक्ष)
2. श्री ललित पालीवाल, रीडर ग्रुड तृतीय कार्यालय हाजा, सदस्य
3. रामा सोनी, तामील कुनिन्दा कार्यालय हाजा, सदस्य
4. श्रीमती कमलेश, बरिष्ठ अध्यापिका रा.उ.मा विद्यालय, सादडी।

" सादर "

भवदीया
10/3/26
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सादडी, जिला-पाली (राज.)